CTCMS no. – 2021/160

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

1. कस्तूरचन्द मीना पुत्र श्री किशनलाल जाति मीना निवासी रोण, तह0 पीपल्दा जिला कोटा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. मूर्ति मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज विराजमान, स्थन–रोण, तह0 पीपल्दा जिला कोटा, राज0 जर्ये पुजारी जगदीश पुत्र गोरधन जाति बैरागी, निवासी रोण तह0 पीपल्दा, जिला कोटा

किस्म मुकद्दमा – मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बयमुकदमा मुन्तकिल किये जाने दावा उनवानी कस्तूरचन्द मीना बनाम राजस्थन राज्य वगै0 मु0नं0 50/2021 न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) इटावा जिला कोटा

प्रकरण संख्या 52 वर्ष **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-07-2021	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा के दावा सं0 50 विर्ष 2021 को कोटा न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु पेश किया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें । सहायक कलक्टर इटावा से उनके न्यायालय के उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई, पत्रांक/ रीडर/ 2021/130 दिनांक 14.7.2021 से प्राप्त हुई । जिस अनुसार प्रार्थी कस्तूरचन्द मीणा निवासी रोण द्वारा दिनांक 6.7.2021 को एक वाद कस्तूरचन्द बनाम सरकार व मूर्ति मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान रोण अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0टी0ए0 व प्रार्थना पत्र 212 प्रस्तुत कर ग्राम कंवरपुरा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी संवत 2034 से 2037 ख0नं0 78/101 रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 78/102 रकबा 10 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 01 बीघा भूमि जिस पर खातेदारी सनद नं0 1327 दिनांक 20.10.1997 को प्राप्त हो चुकी है । वादी के पिता किशनलाल का स्वर्गवास हो चुका है । किशनलाल जी की मृत्यु के बाद वादी स्व0 किशनलाल जी का एकमात्र विधिक वारिस है । प्रतिवादी कम 2 मन्दिर श्रीनाथ जी के खातेदारी व कब्जा काश्त में पूर्व में सेटलमेंट करके ग्राम कंवरपुरा तहसील पीपल्दा में मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2034 से 2037 पूर्व सेटलमेंट ख0 नं0 76रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उपरोक्त आराजी गत ख0 नं0 76 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के बाद सेटलमेंट मिलान क्षैत्रफल अनुसार हाल ख.नं. 190 रकबा 1.25 हे0 कायम किये गये पूर्व सेटलमेंट प्रतिवादी कम 2 का रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 0.95 हे0 होते है के बाद	

जिला कलेक्टर

सेटलमेंट द्वारा रकबा बढा कर 1.25 हे0 दर्ज कर दिया है । इस प्रकार प्रतिवादी कम 2 का रकबा सेटलमेंट द्वारा गत रकबे की तुलना में 0.30 हे0 बढा दिया है । प्रकरण में प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर तलबी हो चुकी है । तथा प्रकरण में आगामी सुनवाई तारीख 10.8.2021 नियत है । प्रार्थी स्वयं उपस्थित को सुना गया ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं सहायक कलक्टर इटावा की टिप्पणी का अवलोकन किया । न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा में प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ 212 स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें स्थगन नहीं मिलने से तथा विवादित भूमि हकाई करने से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहा0 कलक्टर इटावा में विचाराधीन प्रकरण को कोटा में स्थानान्तरण चाहा गया है । परिणामतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा में विचाराधीन वाद पत्र कस्तूरचन्द बनाम सरकार व मूर्ति मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान रोण मय स्थगन प्रार्थना पत्र 50/2021 को सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में स्थानान्तरण के आदेश दिये जाते है । आदेश की प्रति सहायक कलक्टर इटावा एवं सहा0 कलक्टर कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(उज्ज्वल राठौड)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा